(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 19 / 2025

पंजीकरण संख्या :– 2025 / 87

बउनवान

श्री धनराज सुमन पुत्र श्री गोपीलाल सुमन निवासी बमोरी रोड, वार्ड नं. 05, अंता जिला बारॉ(राज.) पिन कोड –325202

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 17.10.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.08.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01.05.2025 से 01.08.2025 के मध्य की 03 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जो निम्नलिखित है :–

1. उक्त समयांतराल में उपखंड अधिकारी द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के रिकॉर्ड रजिस्टर की सूचना
2. उक्त समयांतराल में उपखंड अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए वाद / प्रकरण के रिकॉर्ड रजिस्टर की सूचना
3. उक्त समयांतराल में उपखंड अधिकारी द्वारा न्यायालय में किए गए कार्य के रिकॉर्ड रजिस्टर की सूचना

अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 26.09.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को जरिये सम्मन क्रमांक 799–800 दिनांक 29.09.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 799–800 दिनांक 29.09.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक / सू.काअ. / 2025 / 560–561 दिनांक 16.10.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई। उक्त जवाब में अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 12.08.2025, उनके कार्यालय में दिनांक 19.08.2025 को प्राप्त हुआ था जिसका

जवाब उनके कार्यालय के पत्रांक 496 दिनांक 12.09.2025 से अपीलार्थी को बिंदुवार जवाब जरिये डाक आवेदन में दिये गये पते पर भिजवा दिया गया था जो निम्नानुसार है :—

1. दिनांक 01.05.2025 से 01.08.2025 के मध्य 212 आरटीएक्ट के प्रकरण दर्ज रजिस्टर की प्रति संलग्न है।
2. दिनांक 01.05.2025 से 01.08.2025 के मध्य वाद पत्र के प्रकरण दर्ज रजिस्टर की प्रति संलग्न है।
3. न्यायालय में प्रत्येक प्रकरण की पृथक—पृथक पत्रावली होती है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की प्रतिलिपियां संबंधित वादीगण/प्रतिवादीगण अथवा उनके अधिवक्ता को ही नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने के उपरांत हीं उपलब्ध करवाई जा सकती है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **17.10.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ